पुलिस आदेश संख्या 204 /1988.

विषय:- विभागीय प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक की वरीयता निर्धारण के सिद्धांत ।

विभागीय प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक की आपसी वरीयता के संबंध में समय-समय पर विवाद उठता रहा है । इसके मुख्य दो कारण रहे हैं । पहला यह कि पुलिस हस्तक नियम-660 (क) के अनुसार सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति क्षेत्रीय आधार पर दी जाती रही है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में बहुत कनीय साक्षर आरक्षी पहले प्रोन्नत हो गये और दूसरे क्षेत्रों में रिक्ति के अभाव में वरीय साक्षर आरक्षी भी बाद में प्रोन्नत किये गए । दूसरा कारण यह रहा कि विशेष शाखा एवं अपराध अनुसंधान विभाग में सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक के अधिकांश सृजित पद लम्बे अर्से तक अस्थायी रहे, जिसके कारण इन रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक संपुष्ट नहीं हो सके । इसके विपरीत चूँकि जिलों के अधिकांश पद स्थायी थे, अतः विशेष शाखा तथा अपराध अनुसंधान विभाग में प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षकों से बहुत कनीय पदाधिकारी भी जिलों में पहले संपुष्ट हो गये । चूँकि राज्य स्तर पर अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति का आधार सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में संपुष्टि की तिथि मानी जाती रही है, अतः अनेकों वरीय पदाधिकारी अपने से बहुत अधिक कनीय पदाधिकारियों से भी कनीय होते चले गये ।

उपर्युक्त विषमता को दूर करने के लिए 1980 में वरीय पुलिस पदाधिकारियों की विशेष समिति गठित की गयी, जिसकी अनुशंसा के आलोक में 1981 से राज्य वरीयता के आधार पर साक्षर आरक्षी संवर्ग से सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति दी जा रही है । किन्तु 1981 से पूर्व में प्रोन्नति में जो विषमता हुई, वह बनी रही और इसके परिणाम स्वरूप आपसी वरीयता को लेकर विवाद चलता रहा ।

इन विवादों के समाधान हेतु गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक -4/वा-2073/86 गृ0आ0 7706 दिनांक 9-9-1987 के द्वारा यह परामर्श दिया गया कि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-15784 दिनांक 26-8-72 के निम्नलिखित नियम के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय :-

3 (।) (ख) के अनुसार प्रोन्नत पदाधिकारियों की आपसी वरीयता क्रम वही होगा, जो निचली सेवा में रक्खा था ।

गृह (आरक्षी) विभाग के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के द्वारा एक विशेष समिति गठित की गयी, जिसमें महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, महानिरीक्षक (कार्मिक), महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) एवं उप-महानिरीक्षक (प्रशासन) सदस्य थे । चूँकि बिहार सरकार

------2

उपर्युक्त निर्देश 1972 में ही निर्गत किया गया, जिसके अनुसार प्रोन्नत पदाधिकारियों की वरीयता के संबंध में 1972 से पहले से चले आ रहे एवं भविष्य में होने वाले सभी विवादों का निष्पादन कार्मिक विभाग के उपर्युक्त पत्र में अंकित सिद्धांत के आधार पर किया जाना था, अतः इस समिति के द्वारा सभी पहलुओं पर गहन समीक्षा कर निम्नलिखित अनुशंसा की गयी:-

1- प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक की आपसी वरीयता के निर्धारण का आधार आरक्षी के पद पर नियुक्ति की तिथि होगी ।

2- ऐसे आरक्षी जो सेवा में आने के पश्चात प्रवेशिका परीक्षा पास किए हैं, उनकी वरीयता का आधार उनके द्वारा प्रवेशिका पास करने की तिथि मानी जायेगी ।

3- ऐसे पदाधिकारी जो असंतोषजनक सेवा के कारण अगली पंक्ति में पूर्व में प्रोन्नत नहीं किये जा सके उनकी वरीयता का गणना उनके असंतोषजनक सेवा अभिलेख के कारण प्रोन्नति पर रोक की अवधि समाप्त होने की तिथि से ही जायेगी ।

यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अनुशंसा का द्रुततापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और सहायक अवर निरीक्षक तथा अवर निरीक्षक के संवर्ग में संशोधित वरीयता सूची शीघ्र तैयार कर प्रकाशित कर दी जाय ।

ह0/- जे0 एम0 कुरैशी
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना

ज्ञापांक 1059 /पी-2, महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार ।
7-2-1-86 पटना, दिनांक 3 मार्च, 1988 ।

प्रतिलिपि:-

1- सरकार के संयुक्त सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र सं0-4/वा-2073/86गृ0आ0-7706 दिनांक 19-9-98 के प्रसंग में सूचनार्थ ।

2- सभी प्रक्षेत्र आरक्षी महानिरीक्षक/सभी उप-महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

3- महानिरीक्षक, विशेष शाखा/ अपराध अनुसंधान विभाग/रेलवे/तकनीकी सेवा बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

4- सभी आरक्षी अधीक्षक (रेल सहित)/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ प्रेषित ।

5- पी-2 प्रज्ञाजा श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा को पुलिस गजट में प्रकाशनार्थ ।

ह0/-
आरक्षी उप-महानिरीक्षक कार्मिक (बिहार, पटना)